प्रेषक,

जिलाधिकारी,
औरैया।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(उ0प्र0)
पर्यावरण वन एवं जलवायु,
परिवर्तन विभाग,राणा प्रताप मार्ग
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः 1525/डीएलआरसी–भूमि विनिमय/2022 दिनांक 27 अगस्त,2022

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत जनपद औरैया में तहसील औरैया के राजस्व ग्राम अस्ता में सम्भावित बाढ़ प्रभावित ग्राम अस्ता को उच्च स्तरीय स्थान पर बसाये जाने हेतु वन विभाग की भूमि से विनिमय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत जनपद औरैया में तहसील औरैया के राजस्व ग्राम अस्ता में बाढ़ प्रभावित ग्राम अस्ता के बाढ़ प्रभावित ग्रामवासियों को उच्च स्थान पर बसाये जाने हेतु तहसील औरैया के राजस्व ग्राम अस्ता की 3.943 हे0 ग्राम सभा भूमि को वन विभाग की 3.943हे0 भूमि से विनिमय किये जाने हेतु प्रस्ताव आपको पूर्व में प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव का परीक्षण उपरान्त आपके द्वारा इंगित आपत्तियों का ऑनलाइन निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी के माध्यम से कराते हुये सुसंगत अभिलेखों सहित आख्या दिनांक 30.06.2022 को आपको पुनः प्रेषित की जा चुकी है।

ज्ञातव्य है कि उक्त प्रकरण में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान समयबद्व रूप से कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

प्रभागीय वनाधिकारी औरैया द्वारा अपने पत्र संख्या–108/147 दिनांक 11.07.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है, कि पस्ताव में आपके कार्यालय द्वारा पुनः निम्नलिखित पृच्छायें की गई हैः–

1- In L uploaded Non forest land in small patches. upload Non forest land in one patch nearest of forest area.
2- upload complete and approved Sanction letter.

उपरोक्त के कम में अवगत कराना है, कि प्रश्नगत वन विभाग की भूमि के निकट ग्राम पंचायत अस्ता में एक पैच (patch) में विनिमय हेतु ग्राम सभा भूमि उपलब्ध नही है। सम्पूर्ण ग्राम पंचायत अस्ता में ग्राम सभा की यही भूमि उपलब्ध है, जिसका भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा विधिवत् प्रस्ताव पारित किये जाने के उपरान्त विनिमय प्रस्ताव आपको प्रेषित किया गया है।

RESUMPTION
1179

तहसीलदार
औरैया

उल्लेखनीय है कि वन विभाग को विनिमय में दी जाने वाली ग्राम सभा भूमि के सन्निकट पूर्व से वन विभाग की ही भूमि है, अतः विनिमय के उपरान्त वन विभाग की भूमि समेकित (Contiguous) रहेगी। विनिमय में दिये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि एवं उसके संलग्नक पूर्व से स्थित वन विभाग की भूमि को दर्शाकर मौके का नजरी नक्शा भी संलग्न है।

पृच्छा के दूसरे बिन्दु के कम में सम्बन्धित कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर दी गयी है।

यह भी अवगत कराना समीचीन है, कि वर्तमान में भी ग्राम अस्ता बाढ़/जलभराव से प्रभावित है तथा ग्रामवासियों को नावों द्वारा विस्थापित करके सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। ग्रामवासियों द्वारा जन प्रतिनिधियों, मा0 सांसद, मा0 विधायक व प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है कि समस्या के स्थायी समाधान हेतु प्रश्नगत विनिमय की कार्यवाही तत्काल पूर्ण की जाकर ग्राम आबादी को उक्त प्रस्तावित ऊँचे स्थान पर शीघ्र स्थानान्तरित कराया जाये। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिण्ट मीडिया द्वारा भी मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा अब तक लागू न हो पाने के विषय को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। वर्तमान में उक्त ग्राम के बाढ़ प्रभावित होने के कारण मा0 मुख्य मंत्री जी के पुनः आगमन की भी सम्भावना है जिसमें यह विषय प्रमुखता से उठ सकता है। प्रश्नगत प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित तथा जनहित का प्रकरण है जिस पर तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है तथा प्रकरण का निरन्तर अनुश्रवण (Monitoring) मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है, कि वर्णित प्रस्ताव संख्या-FP/UP/REHAB/149021/2021 में प्रस्ताव स्वीकृत करने विषयक अग्रेतर कार्यवाही यथाशीघ्र करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

27/8/22

(प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी,
औरैया।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. जिला प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग औरैया को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही/पैरवी करें।

जिलाधिकारी,
औरैया।

तहसीलदार
औरैया

RESUMPTION
1180

Scanned with CamScanner

अनुपालन कार्यवृत्त

A.D.M.

(341)

2. बाढ़ प्रबन्धन

- मण्डलायुक्त ने मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद औरैया व इटावा में बाढ़ के दौरान भ्रमण के समय स्थानीय मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये बिन्दु के शत–प्रतिशत अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये।
- जनपद औरैया में विगत 10 वर्षों में बाढ़ के समय बार–बार जलमग्न हो रहे ग्रामों की प्रभावित आबादी को उच्चीकृत स्थलों पर बसाये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में एक सप्ताह में प्रस्ताव मय ग्राटा संख्या व प्रभावित जनसंख्या के साथ शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
- जनपद इटावा में बाढ़ के दौरान मा0 मुख्यमंत्री जी ने अपने भ्रमण के समय नावों व पुलिस बल की संख्या बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन से शासन को अवगत कराने विषयक आख्या प्रेषित की जाय।
- बाढ़ उपरान्त पानी उतरने के बाद प्रभावी क्षेत्रों में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा साफ–सफाई, सेनीटाइजेशन व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।
- बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि योग्य भूमि, बोया गया कृषि योग्य क्षेत्रफल, क्षतिग्रस्त मकान/झोपड़ी, पशुहानि, जनहानि का आंकलन कर राहत पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के अभिलेखीयकरण कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी को दिये गये।

3. गौवंश संरक्षण स्थल सत्यापन

- मुख्य सचिव, उ0प्र0, शासन के कार्यालय पत्र संख्या–628 दिनांक 09 अगस्त, 2021 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में समस्त गौवंश संरक्षण स्थलों के सत्यापन में पाई गयी कमियों यथा चारा, भूसा, पानी, चिकित्सीय परीक्षण, गौवंश गणना पंजिका में प्रविष्टि अद्यावधिक किया जाना व पशुओं के अन्त्येष्टि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की समीक्षा के क्रम में जनपद औरैया में 27, इटावा में 20, फर्रुखाबाद में 01 व कानपुर देहात में 09 गौवंश संरक्षण स्थलों पर हरे चारे की कमी के प्रकरण को दूर किये जाने के निर्देश सभी सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी को दिये गये। साथ ही यह भी अपेक्षा की गयी कि समय–समय पर नोडल अधिकारी नामित करते हुये सत्यापन कार्य कराया जाय।
- मण्डलायुक्त ने पशुओं के शवों के निस्तारण समुचित ढंग से कराये जाने के निर्देश दिये गये। समाचार पत्रों में इसके विपरीत समाचार प्रकाशित होने की दशा में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। इस सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी व नायब तहसीलदार की टीम गठित कर समय–समय पर पशुओं के निधन पर कारणों का पता लगाये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।
- गौवंश संरक्षण स्थल पर जलभराव, खड़ंजा निर्माण, नांदी एवं चरही, गोबर निस्तारण, विद्युत कनेक्शन की कमी को दूर करने के साथ–साथ स्थल पर साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। यह भी अपेक्षा की गयी कि केयर टेकर की समुचित तैनाती कर मानदेय की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाय।

14-58-SF ADM
25/8/2021
DLRC/CRA
हo सम्बन्धित अनुपालन आख्या प्रेषित करें
अपर जिलाधिकारी
औरैया
25/8/2021

तहसीलदार
औरैया

Scanned with CamScanner

- गौवंश पशुओं के भरण–पोषण हेतु जनपदों को वांछित अवशेष धनराशि यथा जनपद फर्रुखाबाद धनराशि रु0 589.38 लाख, कानपुर नगर रु0 239.15 लाख, औरैया रु0 361.00 लाख, कन्नौज रु0 323.63 लाख, इटावा रु0 508.00 लाख व कानपुर देहात में रु0 357.00 लाख की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करते हुये बजट उपलब्धता के सम्बन्ध में अपने स्तर से पत्राचार सुनिश्चित किया जाय एवं दिनांक 16.08.2021 को मुख्य सचिव, उ0प्र0, शासन की प्रस्तावित पर्युअव समीक्षा बैठक में इस बिन्दु को भी संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जाय।

341

A.D.M.

4. जल स्रोत संरक्षण

- समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि दिनांक 11 जुलाई से 10 अगस्त, 2021 तक प्रथम चरण के रुप में प्रस्तावित कार्यवाही के अनुपालन सम्बन्धी आख्या समस्त जनपदों द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है, किन्तु आख्या के अवलोकन से पाया गया कि जनपदों द्वारा इस सम्बन्ध में समुचित ढंग से यथा डाटा तैयार करना, स्थलीय सत्यापन कराया जाना व सत्यापन उपरान्त अतिक्रमित ग्राटा को कब्जा मुक्त कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गयी है। यह भी निर्देश दिये गये थे कि सम्बन्धित गाटा का अधिकारी भ्रमण कर फोटोग्राफ तैयार करेंगे, किन्तु जनपद फर्रुखाबाद, कन्नौज व औरैया को छोड़कर अन्य जनपदों द्वारा अपनी आख्या के साथ सम्बन्धित गाटा के फोटोग्राफ संलग्न कर प्रेषित नहीं किये गये है। साथ ही जनपद फर्रुखाबाद, कन्नौज व औरैया द्वारा प्रेषित फोटोग्राफ पर सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, भ्रमण का दिनांक व हस्ताक्षर अंकित नही किये गये है, जबकि भविष्य में उक्त स्थलों को कब्जामुक्त कराने हेतु की गयी कार्यवाही के क्रम में मा0 न्यायालय में वाद दायर होने की दशा में प्रमाणिक अभिलेखीय साक्ष्य होंगे। समस्त जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में विस्तृत चरणबद्ध फोटो युक्त आख्या भेजने के निर्देश दिये गये, जिसमें सत्यापनकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम, भ्रमण का दिनांक व हस्ताक्षर अंकित हो।
- मा0 सिविल न्यायालय व मा0 आयुक्त न्यायालय में उक्त प्रकरणों के क्रम में लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी कर निस्तारित कराने का प्रयास किया जाय। जनपद स्तर पर मानीटरिंग सेल की बैठक में उक्त बिन्दुओं को सम्मिलित कर समीक्षा करायी जाय।
- जनपद कानपुर नगर के सन्दर्भ में निर्देश दिये गये कि उक्त श्रेणी में सम्भावित गाटा का कानपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम व जिला प्रशासन के सीमान्तर्गत क्षेत्राधिकार का निर्धारण जिलाधिकारी साप्ताहिक बैठक कर सुनिश्चित करायें।

5. आई0जी0आर0एस0

- दिनांक 13.08.2021 तक के लम्बित एवं डिफाल्टर सन्दर्भो की समीक्षा की गयी, जिसमें स्थिति निम्नवत पायी गयी–

तहसीलदार
औरैया